माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

A-3711-PBR/14

द्वितीय अपील क्रमांक
प्रस्तुती दिनांक

श्री नीरज जिवेदी
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 13-10-2014
को प्रस्तुत

655/13-10-2014

अधीक्षक

1— सरजुबाई पति राधाकिशन जाट
2— रामप्रसाद पिता राधाकिशन जाट
3— सरस्वती शिशु मंदिर संस्था काटकुट
तर्फे अध्यक्ष कनीराम पिता उधवजी जाट
4— सरस्वती शिशु मंदिर संस्था
तर्फे प्राचार्य प्रकाश
सभी निवासी — काटकुट तहसील बडवाह
जिला खरगोन —— अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1— रामचन्द्र पिता गोपीजी जाट
निवासी — ग्राम काटकुट तहसील बडवाह
जिला खरगोन
2— सरस्वती शिशु मंदिर संस्था तर्फे
संचालक मोहन पिता गोपाल वर्मा
निवासी — ग्राम काटकुट तहसील बडवाह
जिला खरगोन —— प्रत्यर्थीगण

29-10-14

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म.प्र. भू–राजस्व संहिता

अपीलार्थी तर्फे निवेदन है कि —

माननीय अपर आयुक्त महोदय इन्दौर , संभाग इन्दौर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 428/13–14 में पारित आदेश दि. 05.08.2014 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण, निम्नलिखित आधारों पर अपनी अपील सादर प्रस्तुत करते है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 3711—पीबीआर / 14 जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16—12—2015	अपीलार्थीगण की ओर से श्री नीरज त्रिवेदी, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 5—8—14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा इस निष्कर्ष के साथ उनके समक्ष प्रस्तुत अपील निरस्त की गई है कि ग्राम काटकुट स्थित भूमि सर्वे नम्बर 279 रकबा 0.065 हेक्टेयर पैकि उत्तर—दक्षिण एक जरीब तथा पूरब—पश्चिम दिशा में 40 कड़ी भूमि जो कि प्रत्यर्थी कमांक 1 की है, पर अपीलार्थीगण द्वारा अनधिकृत कब्जा कर शाला का निर्माण कर लिया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार को म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही के निर्देश देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह अपील आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	